

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, लेदर टेक्नोलॉजी (वि.सं. 16/2014), सहायक प्राध्यापक, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (वि.सं. 17/2014), सहायक प्राध्यापक, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन (वि.सं. 18/2014), सहायक प्राध्यापक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी (वि.सं. 19/2014) एवं सहायक प्राध्यापक, गणित (वि.सं. 24/2014) के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश

विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:30 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
24/2014 सहायक प्राध्यापक, गणित	शनिवार 04.06.2016	240011, 240025, 240075, 240076, 240079, 240083, 240090, 240099, 240101, 240102, 240114, 240119, 240134, 240136, 240143, 240165, 240168, 240170, 240181, 240187, 240189, 240191, 240211, 240229, 240232, 240236, 240256, 240273	240276, 240281, 240303, 240304, 240306, 240312, 240314, 240316, 240320, 240322, 240328, 240329, 240331, 240336, 240338, 240339, 240343, 240348, 240354, 240356, 240362, 240386, 240391, 240399, 240401, 240424, 240425, 240467
16/2014 सहायक प्राध्यापक, लेदर टेक्नोलॉजी	सोमवार 06.06.2016	160001, 160006, 160012	xxxxxx
17/2014 सहायक प्राध्यापक, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	सोमवार 06.06.2016	170025, 170049, 170050, 170056, 170060, 170068, 170070, 170075, 170083, 170104, 170110, 170122	xxxxxx
18/2014 सहायक प्राध्यापक, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन	शुक्रवार 10.06.2016	180035, 180045, 180173, 180210, 180211, 180242, 180245, 180252, 180370, 180381	180421, 180440, 180450, 180476, 180500, 180506, 180610, 180614, 180770, 180836, 180872
19/2014 सहायक प्राध्यापक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी	बुधवार 15.06.2016	190003, 190016, 190031, 190043, 190044, 190046, 190051, 190052, 190066, 190070, 190071, 190074, 190075, 190081, 190097, 190100	190102, 190105, 190108, 190111, 190116, 190117, 190123, 190128, 190129, 190131, 190144, 190145, 190148, 190164, 190165, 190166
	गुरुवार 16.06.2016	190173, 190186, 190208, 190209, 190213, 190215, 190216, 190217, 190226, 190232, 190238, 190241, 190249, 190254, 190256	190275, 190277, 190279, 190285, 190304, 190305, 190312, 190322, 190337, 190348, 190358, 190373, 190378, 190381, 190457

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार के प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। उक्त वेबसाइट पर 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र-I एवं 2. परीक्षावार प्राप्तांक एवं प्रतिशत का विवरण प्रपत्र-II भी उपलब्ध हैं जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।
3. साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-
 - (i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र।
 - (ii) मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र।
 - (iii) इंटरमीडिएट का अंक पत्र।
 - (iv) इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र।
 - (v) स्नातक का अंक पत्र।
 - (vi) स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र।
 - (vii) स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त होने का सम्बन्धित विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र।
 - (viii) स्नातकोत्तर का अंक पत्र।
 - (ix) स्नातकोत्तर की डिग्री का प्रमाण पत्र।
 - (x) CSIR-UGC नेट परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र।
 - (xi) वि.सं. 24/2014, गणित के जिन उम्मीदवारों द्वारा सिर्फ SRF/JRF उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है उन्हें अपनी अर्हता प्रमाणित करने हेतु CSIR/UGC से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें NET परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही SRF/JRF प्रदान किया गया है। बिना NET परीक्षा में उत्तीर्ण हुए SRF/JRF प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अर्हित नहीं होंगे।
 - (xii) पीएच.डी. का डिग्री का प्रमाण पत्र।
 - (xiii) बिहार राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में संविदा (Contract) पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
 - (xiv) अभ्यर्थी विशेष के नाम से पीएच.डी. यू.जी.सी. परिनियम 2009 के साथ होने का प्रमाण पत्र।
 - (xv) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र।
 - (xvi) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र।

- (xvii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
(xviii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र।
(xix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
(xx) निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र।
(xxi) पहचान पत्र (फोटो सहित)।
(xxii) वि.सं. 16/2014 से 28/2014 के मूल विज्ञापन के क्रम में दिनांक 16.09.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित Marking Scheme के सम्बन्ध में प्रकाशित शुद्धि पत्र के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2021/2016, नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 20.04.2016 को पारित अन्तरिम आदेश द्वारा उक्त शुद्धि पत्र के द्वारा निर्धारित Marking Scheme के आलोक में कार्रवाई नहीं करने का आदेश पारित किया गया है। अतः उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन के आलोक में निम्नांकित कागजात भी, यदि हो, तो साक्षात्कार के दिन समर्पित करना होगा:-

1. विज्ञापन में निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक Referred एवं Non-Referred जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र मूल में (दो छायाप्रति सहित) लाना अनिवार्य है।
 2. विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोजित राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/Conference में प्रस्तुत पेपर्स लाना अनिवार्य है एवं उम्मीदवार द्वारा उपर्युक्त पेपर प्रस्तुत करने संबंधी सेमिनार/Conference आयोजित करने वाले संस्थान के चेयरमैन/संयोजक से प्रदत्त प्रमाण पत्र मूल में लाना अनिवार्य होगा।
- 3.(b) अकादमिक अंक की गणना स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंक के प्रतिशत के आधार पर की जानी है। अतः वैसे उम्मीदवार जिनके अंक पत्र में अंक की जगह CGPA/CPI/DGPA इत्यादि अंकित है, उन्हें अपने विश्वविद्यालय से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली को प्रतिशत में परिवर्तित करने का फार्मूला प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनके ग्रेड को मूल विज्ञापन की कड़िका 7(ii) में अंकित प्रावधानानुसार AICTE द्वारा ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु प्रदत्त फार्मूला के आधार पर प्रतिशत निकाला जाएगा।


साथ ही इन सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23.09.2014 के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

यदि आप अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यताओं, जाति/कोटि तथा शारीरिक विकलांगता के स्तर, आयु में रियायत आदि के समर्थन में अपने साक्षात्कार के दिन मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

4. UGC (Minimum Standard and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2009 की कड़िका 20 का उद्धरण निम्नवत् है - "Alongwith the Degree, the Degree awarding University, Institution deemed to be University, College/Institution of National Importance, as the case may be, shall issue a Provisional Certificate certifying to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions to these Regulations of the UGC."

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वैसे उम्मीदवार जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम.फिल./पीएच.डी. आदि के लिए गठित न्यूनतम मानक प्रक्रिया विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त करने का दावा करते हों, उन्हें अपने विश्वविद्यालय से उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र प्राप्त कर मूल में दो स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. CSIR-UGC NET - जिन अभ्यर्थियों के द्वारा NET पास करने का दावा किया गया है, उन्हें आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 23.09.2014 या उससे पूर्व NET पास होने सम्बन्धी निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा - मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ज़ाईविंग लाइसेंस, इत्यादि मूल में एवं इसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
7. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबन्धिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
8. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।


संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

